



LIC's New Term Assurance Rider

एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर

(UIN: 512B210V01)

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित) / (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

यह प्रलेख मूल पॉलिसी का एक पृष्ठांकन है, जिसके विवरण अनुसूची में दिए गए हैं, और जिन्हें पॉलिसी का एक भाग माना जाएगा।

निम्नांकित अनुसूची में व्यक्त किए अनुसार लाभ एवं प्रीमियम मुख्य पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम एवं लाभ के अतिरिक्त हैं और वे यहाँ पीछे की ओर मुद्रित शर्तों एवं विशेषाधिकारों के अधीन एवं मुख्य पॉलिसी के अतिरिक्त होंगे, जब तक कि विशिष्ट रूप से अपवर्जित न हो।

This DOCUMENT is an endorsement to the Basic Policy, details of which are given in the Schedule, and which shall be deemed as part of the policy.

The benefits and premium as stated in the following Schedule are in addition to the benefit and premium payable under the main policy and shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof in addition to those of the main policy unless specifically excluded.

अनुसूची / SCHEDULE

पॉलिसी संख्या / Policy Number:	जोखिम की तिथि / Date of commencement of risk:
प्रस्तावक एवं जीवन बीमित का नाम / Name of Proposer and Life Assured:	राइडर की अवधि / Term of the Rider:
टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमाकृत राशि (₹) / Term Assurance Rider Sum Assured (₹):	प्रीमियम भुगतान की निर्धारित तिथि / Due Date of payment of Last premium:
टर्म एश्योरेन्स राइडर प्रीमियम (₹) / Term Assurance Rider Premium (₹):	टर्म एश्योरेन्स राइडर के समापन की तिथि / Date of termination of Term Assurance Rider:
किए जाने वाले भुगतान वे घटनाएँ, जिनके होने पर वे किए जाते हैं / Payments to be made and events on the happening of which they are to be made	

टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमाकृत राशि, बशर्ते यह राइडर मूल योजना के साथ संपूर्ण बीमाकृत राशि के लिए प्रभाव में है। / Term Assurance Rider Sum Assured provided this Rider along with the basic plan is in force for full Sum Assured.	निर्धारित अंतिम किश्त भुगतान की तिथि तक या इसके पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर। / On death before date of termination of Term Assurance Rider
वह अवधि जिसके दौरान राइडर प्रीमियम देय है। / Period during which Rider premium payable	निर्धारित अंतिम किश्त भुगतान की तिथि तक या इसके पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर। / Till the stipulated due date of payment of last premium or earlier death of the Life Assured

पॉलिसी प्रलेख में शर्तें एवं विशेषाधिकार की टर्म राइडर लाभ शर्त (यदि कोई हो) आगे मान्य नहीं होगी और उसके स्थान पर निम्नांकित शर्तें होगी। अन्य सभी शर्तें एवं विशेषाधिकार उस मूल योजना के अनुसार वही हैं, जिससे यह राइडर संलग्न है।

- प्रीमियमों का भुगतान:** राइडर प्रीमियम केवल मूल पॉलिसी के लिए प्रीमियम के साथ ही देय है और इसका भुगतान अलग से नहीं किया जा सकता।
- प्रदत्त मूल्य:** इस राइडर में कोई प्रदत्त मूल्य नहीं है।
- अभ्यर्पण मूल्य:** इस राइडर के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। यद्यपि जिस मूल पॉलिसी से यह राइडर संलग्न है, उसके अभ्यर्पण पर, बशर्ते इस राइडर से संबंधित सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया है, पीपीटी के पश्चात कवर के संबंध में भारत अतिरिक्त राइडर प्रीमियम, निम्नानुसार वापस की जाएगी:

नियमित प्रीमियम पॉलिसियाँ: कुछ भी वापस नहीं होगा।

सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियाँ:

ए) धन वापसी केवल तभी की जाएगी, जब कम से कम निम्नांकित के लिए पूरी प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो

- प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष से कम होने की स्थिति में प्रथम दो क्रमागत वर्ष।
- प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक होने की स्थिति में प्रथम तीन क्रमागत वर्ष।

बी) प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान अभ्यर्पण के लिए;

75% * डी * (पीपीटी-पीएन) * (राइडर बीमाकृत राशि / 1000)

सी) प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद अभ्यर्पण के लिए;

75% * पीपीटी * (राइडर बीमाकृत राशि / 1000) * (पीपीटी / एन) * (एन-टी)

एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ:

90% * (राइडर बीमाकृत राशि के लिए एकल प्रीमियम / एन) * (एन-टी)

जहाँ;

पीपीटी = सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम प्रति रु. 1000/- राइडर बीमाकृत राशि, प्रारंभ पर.

पीएन = समान सारणीबद्ध वार्षिक नियमित प्रीमियम प्रति रु. 1000/- राइडर बीमाकृत राशि जो प्रारंभ पर पॉलिसीधारक की आयु पर लागू है और राइडर की अवधि वर्ष होने पर.

उपरोक्त प्रीमियमों में सेवा कर एवं अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

डी = अभ्यर्पण की तिथि पर पूरे किए गए वर्षों में व्यतीत पॉलिसी अवधि

एन = राइडर की अवधि

पीपीटी = राइडर की प्रीमियम भुगतान अवधि

टी = अभ्यर्पण की तिथि पर पूरे किए गए निकटतम वर्षों में व्यतीत पॉलिसी अवधि

4. ऋण: इस राइडर के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

The Term Rider Benefit condition of the Conditions & Privileges (if any) in the policy document is no longer valid and has been replaced by the following condition. All other Conditions & Privileges are same as of the basic plan to which this rider is attached.

- Payment of Premiums:** The Rider Premium is payable only along with the premium for the basic policy and cannot be paid separately.
- Paid-up Value:** This Rider does not acquire any paid-up value.
- Surrender Value:** No surrender value will be available under this rider. However, on surrender of the basic policy to which this rider is attached, provided all the due premiums in respect of this rider have been paid, additional rider premium charged in respect of cover after PPT shall be refunded as follows:

Regular premium policies: Nothing shall be refunded.

Limited premium paying policies:

- Refund shall only be payable if full premiums have been paid for atleast
 - first two consecutive years in case of premium paying term less than 10 years
 - first three consecutive years in case of premium paying term of 10 years or more
- For Surrender during premium paying term;
75% * d * (Pppt-Pn) * (Rider Sum Assured / 1000)
- For Surrender after premium paying term;
75% * Pppt * (Rider Sum Assured / 1000) * (ppt/n) * (n-t)

Single Premium policies:

90% * (Single Premium for Rider Sum Assured / n) * (n-t)

Where;

Pppt = Tabular annual premium for the limited premium paying term per Rs. 1000/- Rider Sum Assured at inception

Pn = Equivalent Tabular annual Regular premium per Rs. 1000/- Rider Sum Assured applicable to the Policyholder's age at inception and term of the rider being n years.

Above Premiums excludes service tax and extra premium, if any.

d = policy duration elapsed in completed years as on date of surrender

n = Term of the Rider

ppt = Premium paying term of the Rider

t = policy duration elapsed in nearest completed years as on the date of surrender

4. Loan: No loan will be granted under this rider.